"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2011—फाल्गुन 20, शक 1932

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-10/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन के लिए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत तथा नियुक्त करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

अनुसूची

सरल क्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्राकारिता (3)
	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला रायगढ़	सम्पूर्ण रायगढ़ अनुभाग क्षेत्र

Raipur, the 11th March 2011

NOTIFICATION

No. F-7-10/7-3/2011.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User Appoints in Land) Act, 2004 (Number 7 of 2004) the State Government hereby, Authorises and appoints as Competent Authority the officer in column (2) for the area mentioned against them in column (3) of the schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act.

SCHEDULE

S. No. (1)	Designation of Officer (2)	Jurisdiction on the Area (3)
	Sub Divisional Officer (Revenue) District Raigarh	Entire area of the Raigarh Sub Division

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.